भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No.2013/H/PNM/NFIR.

New Delhi, dated- 08.09.2015.

The General Managers,
All Indian Railways,
(Including Production Units & RDSO).

Sub:- Retired Employees Liberalized Health Scheme (RELHS-97).

- Ref:- (i) Board's letters No.2003/H/28/1/RELHS dated 28.01.2005, 21.10.2005, 30.12.2005, 10.05.2006, 10.01.2007 & 16.03.2009.
 - (ii) Board's letter No. 2011/H/28/1/RELHS/Court case dated 31.05.2012.

The question of extending RELHS 97 facility to those retired railway employees also who joined Railways late but retired at the normal age of superannuation before completing 20 years of service i.e. the minimum qualifying service required for joining RELHS, has been engaging attention of Ministry of Railways for some time. The issue was also been raised by both the recognized employee Federations (AIRF & NFIR).

After careful consideration in the matter, the Competent Authority in the Ministry of Railways has decided to extend facility of joining RELHS 97 to all those railway employees who retired at the normal age of superannuation irrespective of number of years of their service before superannuation. If such employees have any previous service from any other Government Department which makes them eligible for medical facility of that Department also, they should opt for one of the two facilities viz. medical facility of the Department of previous service or RELHS-97.

Other terms and condition of joining RELHS-97, mentioned in Board's letters cited under reference, will remain unaltered.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

Wide publicity should be given to the above position.

(Dr. Amitava Dutta)
Executive Director, Health(G)
Railway Board.

Contd

No.2013/H/PNM/NFIR

New Delhi, dated- 08.09.2015.

Copy to:

- 1. The FA&CAOs, All Indian Railways including PUs & RDSO.
- 2. Chief Personnel Officers, All Indian Railways, Including PUs & RDSO.
- 3. Chief Medical Directors, All Indian Railways, Including PUs & RDSO.

(Dr. Amitava Dutta)
Executive Director, Health(G)
Railway Board.

No.2013/H/PNM/NFIR.

New Delhi, dated- 08.09.2015.

Copy to:

1. Principal Directors of Audit, All Indian Railways including PUs & RDSO.

2. Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi.

For Financial Commissioner/Railways.

Copy to:- F(E) Spl. Branch/Rly. Board

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2013/एच/पीएनएम/एनएफआईआर.

नई दिल्ली, दिनांक - 08.09.2015

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें, (उत्पादन इकाइयां एवं अ.अ.मा.सं.)

विषय:- सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना (आरईएलएचएस-97)।

- संदर्भ:-(i) बोर्ड का दिनांक 28.01.2005, 21.10.2005, 30.12.2005, 10.05.2006, 10.01.2007 एवं 16.03.2009 का पत्र सं. 2003/एच/28/1/आरईएलएचएस.
 - (ii) बोर्ड का दिनांक 31.05.2012 का पत्र सं. 2011/एच/28/1/आरईएलएचएस/कोर्ट.

उन सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों, जिन्होंने रेलवे में विलंब से ज्वाइन किया हो परन्तु 20 वर्ष की सेवा अर्थात् आरईएलएचएस ज्वाइन करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हक सेवा पूरी करने से पहले अधिवर्षिता की सामान्य आयु में सेवानिवृत्त हुए हों, को भी आरईएलएचएस-97 सुविधा प्रदान करने का मामला कुछ समय से रेल मंत्रालय के ध्यान में आया है। इस मुद्दे को दोनों मान्यताप्राप्त कर्मचारी फेडरेशनों (एआईआरएफ एवं एनएफआईआर) द्वारा भी उठाया गया था।

इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् रेल मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी ने उन सभी रेलवे कर्मचारियों, जो अधिवर्षिता की सामान्य आयु में सेवानिवृत्त हुए हों, को अधिवर्षिता से पहले उनकी सेवा के वर्षों का ध्यान किए बिना आरईएलएचएस-97 ज्वाइन करने की सुविधा प्रदान करने का विनिश्चय किया है। यदि ऐसे कर्मचारियों की किसी अन्य सरकारी विभाग में पिछली कोई सेवा हो जिससे वे उस विभाग की चिकित्सा सुविधा के पात्र हों तो वे दोनों सुविधाओं अर्थात् पिछली सेवा के विभाग की चिकित्सा सेवा अथवा आरईएलएचएस-97 में से किसी एक सुविधा का चयन करें।

बोर्ड के उपर्युक्त संदर्भाधीन पत्रों में उल्लिखित आरईएलएचएस-97 को ज्वाइन करने की अन्य निबंधन एवं शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

उपर्युक्त के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

3 Ce

(डॉ० अमिताव दत्ता) कार्यपालक निदेशक, स्वास्थ्य(जी) रेलवे बोर्ड

.....2/-

सं. 2013/एच/पीएनएम/एनएफआईआर.

नई दिल्ली, दिनांक - 08.09.2015

प्रतिलिपि प्रेषितः

- वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, उत्पादन इकाइयों एवं अ.अ.मा.सं. सहित सभी भारतीय रेलें।
- 2. मुख्य कार्मिक अधिकारी, उत्पादन इकाइयों एवं अ.अ.मा.सं. सहित सभी भारतीय रेलें।
- 3. मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्पादन इकाइयों एवं अ.अ.मा.सं. सहित सभी भारतीय रेलें।

3 The

(डॉ० अमिताव दत्ता) कार्यपालक निदेशक, स्वास्थ्य(जी) रेलवे बोर्ड

सं. 2013/एच/पीएनएम/एनएफआईआर.

नई दिल्ली, दिनांक - 08.09.2015

प्रतिलिपि प्रेषितः

母科科学

- 1. प्रमुखं निदेशक लेखा परीक्षा, उत्पादन इकाइयों एवं अ.अ.मा.सं. सहित सभी भारतीय रेलें।
- 2. भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें